<u>प्रतिवेद्य</u>

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार

<u>दीवानी अपील सं. 5685/2021</u>

मैसर्स न्यू विक्टोरिया मिल्स और अन्य। **..... अपीलकर्तागण**

बनाम

श्रीकांत आर्य **..... प्रत्यर्थी**

<u>निर्णय</u>

<u>न्यायमूर्ति संजय किशन कौल</u>

1. नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (संक्षेप में **'एनटीसी'**), कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत गठित और पंजीकृत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। हमारे समक्ष अपीलकर्ता संख्या 2 नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन (उत्तर प्रदेश) लिमिटेड, कानपुर है, जो अपीलकर्ता संख्या 3 की सहायक कंपनी है, जिसने उत्तर प्रदेश राज्य में कई औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित किए हैं। अपीलकर्ता संख्या 1, मैसर्स न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर अपीलकर्ता संख्या 2 द्वारा स्थापित ऐसा ही एक अधिष्ठान है। प्रत्यर्थी 1991 से अपीलकर्ता संख्या 1 में पर्यवेक्षक (रखरखाव) के रूप में कार्यरत था, जिसे अपीलकर्ता संख्या 2 द्वारा स्थापित एक अन्य औद्योगिक इकाई, मैसर्स एथरटन मिल्स से स्थानांतरण पर नियुक्त किया गया था।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

2. कपड़ा उद्योग सदी के बितते–बितते कठिन समय से गुजरा और तदनुसार विभिन्न कपड़ा मिलों के निरंतर अस्तित्व की व्यवहार्यता की जांच करने के प्रयास किए गए। इन मिलों के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न का उन लोगों पर प्रभाव पड़ा जो इन मिलों में कार्यरत थे। इन कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए, अपीलकर्ता संख्या 1 के कर्मचारी व श्रमिकों और अपीलकर्ता संख्या 2 द्वारा संचालित कुछ अन्य मिलों के कर्मचारियों और श्रमिकों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सुविधा के लिए अपीलकर्ता संख्या 3 द्वारा एक संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (संक्षेप में **'एमवीआरएस/योजना'**) का प्रस्ताव किया गया था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एमवीआरएस अधिशेष श्रमशक्ति को तर्कसंगत बनाने और अपीलकर्ता संख्या 2 के नुकसान को कम करने के उद्देश्य से औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (संक्षेप में **'बीआईएफआर'**) द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार प्रस्तावित किया गया था। बीआईएफआर परिदृश्य में आया था क्योंकि अपीलकर्ता संख्या 2 की उत्पादन गतिविधियों को रोक दिया गया था और इसे रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के तहत एक रूग्ण उपक्रम घोषित किया गया था। अपीलकर्ता संख्या 2 की वित्तीय स्थिति इतनी खराब थी कि बीआईएफआर ने अपीलकर्ता संख्या 1 सहित अपीलकर्ता संख्या 2 की ग्यारह मिलों में से नौ को बंद करने की सिफारिश की। यह सिफारिश करते समय, कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए बीआईएफआर ने एक शर्त लगाई कि मिलों को केवल तभी बंद किया जाएगा जब उसमें काम करने वाले सभी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ दिया जाए।इस प्रकार, एमवीआरएस को पहले संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अधिक्रमण में प्रख्यापित किया गया था।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

3. प्रबंधन ने एमवीआरएस के खंड 1.6 के संदर्भ में कोई कारण बताए बिना एमवीआरएस आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखा। एमवीआरएस का खंड 1.6 इस प्रकार हैः

"1.6 प्रबंधन बिना कोई कारण बताए एमवीआरएस आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, आगे 1.6.1 और 1.6.2 के संबंध में एमवीआरएस के लिए आवेदनों को निदेशक मंडल के समक्ष विचार के लिए रखा जा सकता है।

1.6.1 जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही या तो लंबित है या बड़ा जुर्माना लगाने के लिए संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विचार में है।

1.6.2 जहां किसी दांडिक न्यायालय में अभियोजन परिकल्पित है या किसी न्यायालय में पहले ही आरंभ किया जा चुका है और

1.6.3 ऐसे कर्मचारी जो सामान्य रीति में कंपनी की सेवाओं से इस्तीफा दे देते हैं, एमवीआरएस में हकदार नहीं हैं।"

4. इसके अलावा एमवीआरएस के खंड 4.0 में एमवीआरएस के तहत लाभों के लिए प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार है:

"4.0 <u>योजना के अधीन अन्य निलंबन लाभ</u>

4.1 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार देय भविष्य निधि खातों में शेष राशि।

4.2 संबंधित मिलों/कार्यालय के नियमों के अनुसार संचित अर्जित अवकाश/ विशेषाधिकार/अवकाश के बराबर नकद।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

4.3 उपदान संदाय अधिनियम या उपदान योजना के अनुसार उपदान, यदि कोई हो।"

5. एमवीआरएस के लिए प्रक्रिया खंड 5.0 में निर्धारित की गई थी। इसके कुछ प्रासंगिक उप–खंड प्रस्तुत करना पर्याप्त है, जिन्हें निम्नानुसार संदर्भित किया गया है:

"5.0 प्रक्रिया

5.1 कोई पात्र कर्मचारी योजना के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए विहित प्रपत्र में एन. टी. सी. में धारित पद और सेवा से त्यागपत्र देकर सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। योजना के तहत किसी कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप रिक्त होने वाला पद सभी मामलों में इस योजना के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के लाभों को वितरित करने से पहले एक साथ इस्तीफे और इस आशय के जारी किए गए आदेश को स्वीकार करते हुए एक साथ समाप्त हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति (स्थायी/स्थानापन्न/अस्थायी आदि) उसके स्थान पर नियोजित नहीं किया जाएगा।"

....

....

"5.10 एक बार जब कोई कर्मचारी किसी पीएसयू से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ उठाता है, तो उसे किसी अन्य पीएसयू में रोजगार लेने की अनुमति

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

नहीं दी जाएगी। यदि वह ऐसा करना चाहता है, तो उसे संबंधित पीएसयू को उसके द्वारा प्राप्त वीआरएस मुआवजा वापस करना होगा, जहां सरकारी अनुदान से मुआवजे का भुगतान किया गया था, तो संबंधित पीएसयू सरकार को वापसी राशि भेज देगा यदि पीएसयू पहले से ही बंद/विलय हो गयी है, तो वीआरएस मुआवजा सीधे सरकार को वापस कर दिया जाएगा।"

खण्ड 5.1 का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि कर्मचारी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के साथ–साथ उनके इस्तीफे की स्वीकृति के परिणामस्वरूप पद को ही समाप्त कर दिया जाना था और पद खाली हो गया था और योजना के तहत यह कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभों के संवितरण के लिए एक प्रस्तावना थी।यह उद्देश्य सुनिश्चित करना प्रतीत होता है कि योजना का उपयोग किसी कर्मचारी को बाहर निकालने और उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को रखने के लिए नहीं किया गया था, जो योजना के उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत होगा।

6. प्रत्यर्थी ने योजना के तहत अवसर का लाभ लेने की मांग की और 12.07.2002 को एक पत्र लिखा।इसका प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार हैः

"यह कि राष्ट्रीय पुनर्वास योजना द्वारा संचालित सेवा योजना से संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत मिल की सूचना दिनांकितः 13.06.2002 और 04.07.2002 के संदर्भ में, आवेदक अपना इस्तीफा प्रस्तुत करना चाहता है।

इसलिए आवेदक की सेवा अवधि के सभी लाभों का भुगतान सुनिश्चित करके आवेदक के इस्तीफे को स्वीकार करने का अनुरोध किया जाता है।"

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि इस्तीफे को तत्काल लागू करने की मांग केवल इस अनुरोध के साथ की गई थी कि सेवा के सभी लाभों का भुगतान तुरंत किया जाए।

7. एक पहलू जिसने प्रत्यर्थी को कुछ पीड़ा पहुंचाई, वह यह था कि स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता संख्या 1 और प्रत्यर्थी के बीच प्रत्यर्थी के भविष्य निधि खाते में की जाने वाली जमाराशि से संबंधित पहले से ही विवाद था। यह इस संबंध में दिनांक 29.03.2000 और 23/24.04.2000 को संबोधित दो पत्रों से स्पष्ट है, जिसमें यह शिकायत थी कि 1991 से भविष्य निधि राशि उनके खाते में जमा नहीं की गई है। 12.07.2002 दिनांकित अपने पत्र को प्रस्तुत करने पर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुद्दे को हल नहीं किया गया था, फलस्वरूप उसी बिषय पर प्रत्यर्थी ने 03.03.2003 दिनांकित एक पत्र दिया। इस पत्र में, प्रत्यर्थी ने अनुरोध किया कि चूंकि समस्या हल नहीं हुई थी, इसलिए एमवीआरएस के तहत उनके आवेदन को तब तक निलंबित रखा जाए जब तक कि धनराशि उनके भविष्य निधि खाते में जमा नहीं हो जाती और खाते को नियमित नहीं कर दिया जाता। इस अनुरोध का कारण भी उसके तुरंत बाद उसी पत्र में बताया गया था, अर्थात् "क्योंकि इस्तीफे की स्वीकृति के बाद, इस राशि की प्राप्ति न केवल कठिन होगी, बल्कि यह असंभव होगी।"

8. दिनांक 28.05.2003 को एमवीआरएस के तहत इस्तीफे के पत्रों की स्वीकृति के बारे में एक सामान्य जानकारी जारी की गई थी जिसमें प्रत्यर्थी का नाम क्रम संख्या 4 पर था। 01.06.2003 को चार व्यक्तियों को मिल की सेवाओं से सेवानिवृत्त होना था। हालांकि अपीलकर्ता सं. 1 द्वारा 02.06.2003 को एक पत्र जारी किया गया था, जब कट ऑफ तिथि पहले ही 01.06.2003 से प्रभावी हो गई

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

थी; जिसमें प्रत्यर्थी को सूचित किया गया कि उक्त तिथि को रद्द माना जाए और एक नई कट ऑफ तिथि शीघ्र ही सूचित की जाएगी। प्रत्यर्थी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की सलाह दी गई थी।

9. पूर्वोक्त परिदृश्य में, प्रत्यर्थी ने 01.07.2003 दिनांकित एक पत्र को संबोधित करते हुए अनुरोध किया कि एमवीआरएस के तहत 12.07.2002 के उनके पत्र को रद्द माना जाए क्योंकि यह देखते हुए कि उनका इस्तीफा पत्र अभी भी स्वीकार नहीं किया गया था, उन्होंने एमवीआरएस के तहत अपना इस्तीफा प्रस्तुत करने के बारे में अपना विचार बदल दिया था। हालांकि एमवीआरएस के तहत प्रस्तुत इस्तीफा 14.07.2003 दिनांकित पत्र द्वारा यह सूचित करते हुए स्वीकार कर लिया गया था कि प्रत्यर्थी को 16.07.2003 से सेवानिवृत्त होना था।

10. इसी पूर्वोक्त पत्र से वाद उत्पन्न हुआ जिसमें प्रत्यर्थी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष दीवानी प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 16587/2004 दायर करके निम्न प्रार्थनाएँ कीः

क. 14.07.2003 दिनांकित आक्षेपित आदेश रद्द करना;

ख. पर्यवेक्षक (रखरखाव) के पद पर प्रत्यर्थी को अपने कर्तव्यों का पदभार ग्रहण करने की अनुमति देने और उसे उसके हक की सभी परिलब्धियों का भुगतान करने का निर्देश;

ग. उसे 16.07.2003 से उसके बकाया वेतन का भुगतान करने और उसे उसकी सेवानिवृत्ति की आयु तक पद पर काम करने की अनुमति देने का, जब वह अपने सभी सेवानिवृत्त लाभों का हकदार होगा।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

11. रिट याचिका का इस आधार पर विरोध किया गया था कि इस्तीफा पहले से ही स्वीकार हो गया था और कट ऑफ तारीख को स्थगित करने से स्वीकृति की वैधता किसी भी तरह से खत्म नहीं हो जायेगी। यह ध्यान देना लाभप्रद हो सकता है कि याचिका का जवाब देते समय, अपीलकर्ता ने भविष्य निधि योगदान के उसके खाते में जमा न करने की प्रत्यर्थी की शिकायत पर अपनी स्थिति के बारे में बताया।यह कहा गया था कि संपूर्ण भविष्य निधि योगदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय के पास जमा किया गया था और ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही नाम के किसी गलत व्यक्ति के खाते में इसे जमा किया गया था। यह क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय की एक गलती थी, जिसे सही करने की सिफारिश की गई थी और इसे सही भी किया गया था।वास्तव में, जिस खाते में राशि जमा की गई थी, वह सही खाता संख्या थी।

12. विद्वान एकल न्यायाधीश ने 22.08.2005 के निर्णय के संदर्भ में प्रत्यर्थी के पक्ष में फैसला सुनाया। फैसले में यह भी कहा गया है कि सेवा में बहाली का सवाल नहीं उठ सकता है क्योंकि अपीलकर्ता संख्या 1 की सेवाएँ रिट याचिका के लम्बित रहने के दौरान जारी केंद्र सरकार की दिनांक 09.03.2004 की अधिसूचना के अनुसार समाप्त कर दी गयी थी। हालांकि विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि यह 'स्पष्ट नहीं' था कि किसी भी समय, प्रत्यर्थी ने एमवीआरएस के तहत इस्तीफे की बिना शर्त पेशकश की थी। बल्कि, उसका इस्तीफा सभी बकाया राशि के भुगतान पर सशर्त था, जिसमें भविष्य निधि बकाया भी शामिल था, जिसे पहले मंजूरी दे दी जानी चाहिए और उसे भुगतान किया जाना चाहिए। 12.07.2002 दिनांकित पत्र के अवलोकन पर हम इस स्तर पर अभिलेख के रूप में यह नोट कर सकते हैं कि हमें ऐसा नहीं लगता है। पत्र में जो कुछ भी कहा गया था, वह प्रत्यर्थी के इस्तीफे को

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

उसकी सेवा अवधि के सभी लाभों का सुनिश्चित भुगतान करके स्वीकार करने का अनुरोध था। कोई पूर्व शर्त नहीं रखी गई थी और न ही एमवीआरएस के तहत रखा जा सकता था क्योंकि खण्ड़ 5.1 ने पद के इस्तीफे और समाप्ति की एक साथ स्वीकृति की परिकल्पना की थी और उसके बाद भुगतान किया जा रहा है। मुख्य रूप से, इस्तीफा पत्र एमवीआरएस के तहत प्रस्तुत किया गया था और इसलिए यह खंड 5.1 के अधीन था।

13. दूसरा पहलू जो विद्वान एकल न्यायाधीश ने लिया था, वह यह था कि उसके इस्तीफे को अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद भी प्रत्यर्थी 14.07.2003 तक काम करता रहा, इस तथ्य के बावजूद कि उसने 01.07.2003 को उस तारीख से पहले अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। वास्तव में, तर्क "बेहतर आधार" मानकर दिया गया है, क्योंकि एमवीआरएस के तहत प्रत्यर्थी द्वारा दिया गया प्रस्ताव केवल सशर्त था और उस शर्त को पूरा नहीं किया गया था, जो कि कुछ ऐसा है जिस पर हम 12.07.2003 दिनांकित पत्र के साधारण पठन पर सहमत होने में असमर्थ हैं। 03.03.2003 दिनांकित पत्र का एक संदर्भ भी दिया गया था, जिसमें 12.07.2002 के पत्र को निरस्त रखने की मांग की गई थी (ऐसा नहीं है कि इस्तीफा पत्र उस चरण तक वापस ले लिया गया था)।एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जिस पर विद्वान एकल न्यायाधीश ने बल दिया है, वह प्रत्यर्थी का कार्य जारी रखना है, जिसके कारण नियोक्ता और कर्मचारी के विधिक संबंध जारी रहे, भले ही प्रत्यर्थी के इस्तीफे पत्र की स्वीकृति को अधिसूचित करने वाला परिपत्र 28.05.2003 को जारी किया गया था। 02.07.2003 दिनांकित पश्चात्वर्ती पत्र को संज्ञान में लिया गया जिसमें दिनांक 28.05.2003 को यह सूचित किया गया था कि पूर्ववर्ती कट ऑफ तिथी को रद्द कर दिया है और यह भी कहा गया था

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

कि एक नयी कट ऑफ तिथी दी जाएगी।उसी समय 14.07.2003 दिनांकित पत्र द्वारा नई कट ऑफ तिथी को सूचित किया गया जो 16.07.2003 से प्रभावी होनी थी। उस तारीख से पहले, 01.07.2003 को प्रत्यर्थी ने पहले ही अपना इस्तीफा वापस लेने/रद्द करने के लिए कहा था।

14. इससे व्यथित अपीलकर्ताओं ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड़पीठ के समक्ष अपील दायर की, जो विशेष अपील संख्या 188/2005 है।एक पहलू जिस पर प्रत्यर्थी के अधिवक्ता द्वारा बहुत जोर दिया जाता है वह वो तरीका था, जिस तरह से इस अपील पर मुकदमा चलाया गया था। स्पष्टतः अपीलकर्ताओं द्वारा लगभग छह वर्षों तक अपनी अपील को सूचीबद्ध करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, जब तक कि मामला अंततः 10.10.2011 को सूचीबद्ध नहीं किया गया था– जब अपील स्वीकार की गई थी और नोटिस जारी किया गया था। इसके अलावा, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के संचालन को रोककर एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था। प्रत्यर्थी को पूरा पैसा प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता दी गई थी जो उसे उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अपने इस्तीफे की स्वीकृति पर प्राप्त करना था और अपील में अंतिम निर्णय के अधीन था। प्रत्यर्थी का यह कहना है कि छह साल की इस अवधि के दौरान, प्रत्यर्थी ने पैसा नहीं लिया और पूर्वोक्त अंतरिम आदेश पारित होने के बाद ही धनराशि प्राप्त की। यह कहना पर्याप्त है कि अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा 22.10.2011 को प्रत्यर्थी को रु 5,47,267/– का चेक जारी किया गया था, जिसे प्रत्यर्थी द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 10.10.2011 के संदर्भ में विधिवत भुना लिया गया था। वास्तव में अभिलेख से यह पता नहीं चलता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को लागू करने के लिए इस अवधि के दौरान क्या कदम उठाए गए होंगे। प्रत्यर्थी द्वारा स्पष्ट

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

रूप से प्रवर्तन की मांग करते हुए अवमानना याचिका संख्या 2967/2006 दायर की गई थी, लेकिन यह भी प्रतीत होता है कि पैरवी बहुत गंभीरता से नहीं की गयी थी।हम यह भी ध्यान देते हैं कि एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध की गई अपील को मुकदमा न लड़ने पर तीन बार खारिज किया गया और बहाल(पुनर्स्थापित) किया गया।

15. खण्ड़पीठ ने अंततः 12.03.2019 को अपील पर अपना विचार दिया और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा।पूर्वोक्त उद्धृत एमवीआरएस के खंड 1.6 का भी संदर्भ दिया गया, जिसमें बिना कोई कारण बताए इस्तीफे के आवेदन को अस्वीकार करने के लिए अपीलकर्ता संख्या 1 को अधिकार दिया गया था।इस प्रकार यह राय व्यक्त की गयी थी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध की स्वीकृति, ऐसी सेवानिवृत्ति से पहले की शर्त थी।एमवीआरएस के खण्ड़ 5.1 के अनुसार पद को समाप्त करने के मुद्दे पर, यह राय व्यक्त की गयी थी कि चूंकि अपीलकर्ता संख्या 1 ने 01.06.2003 की मूल कट ऑफ तिथी को रद्द कर दिया था और प्रत्यर्थी को एक बार फिर अपने कर्तव्यों पर पदभार ग्रहण करने के लिए कहा था, पद जारी रहना चाहिए और इस प्रकार, खण्ड़ 5.1 लागू नहीं हुआ था।

16. खण्ड़पीठ के पूर्वोक्त आदेश को इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर करके चुनौती दी गयी है।17.02.2020 दिनांकित आदेश द्वारा, नोटिस जारी किया गया था और आक्षेपित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। मामले की अन्तिम सुनवाई होने के बाद 07.09.2021 को अनुमति प्रदान की गयी और फैसला सुरक्षित रखा गया।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

17. हमने दिए गए तथ्यात्मक परिदृश्य में और विरोधी पक्षकारों के अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का परीक्षण किया है।

18. संक्षेप में, हमारे समक्ष अपीलकर्ताओं का तर्क यह था कि प्रत्यर्थी ने 28.05.2003 या 02.06.2003 दिनांकित पत्रों को भी चुनौती नहीं दी थी, जिसने एमवीआरएस के तहत प्रत्यर्थी के इस्तीफे के अनुरोध को प्रभावी रूप से स्वीकार कर लिया था। इसका अर्थ यह होगा कि अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा इस्तीफे की स्वीकृति पूरी हो गई थी।प्रत्यर्थी ने केवल 14.07.2003 दिनांकित पत्र को चुनौती देते हुए संशोधित कट ऑफ तिथी को चुनौती दी थी, जिसमें प्रत्यर्थी को 16.07.2003 से कार्यमुक्त करने की मांग की गई थी। एक बार इस तरह के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया और यहां तक कि चुनौती नहीं दी गयी, तो प्रत्यर्थी के इस्तीफे की स्वीकृति के बाद इस्तीफा देने की अनुमति देने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। यह केवल प्रशासनिक कारणों से कट ऑफ तिथि का स्थगन था, जिसने मात्र प्रत्यर्थी को कार्यमुक्त करने में देरी की और इस्तीफे की स्वीकृति को स्थगित नहीं किया।

19. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस दलील का समर्थन करने के लिए **एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड और अन्य बनाम कैप्टन गुरदर्शन कौर संधू**[1] में इस न्यायालय के निर्णय पर अवलम्ब लिया कि किसी को उसके कर्तव्यों से पदमुक्त करने में देरी उसके इस्तीफे की स्वीकृति को प्रभावित नहीं करती है। वास्तव में, **राज कुमार बनाम भारत संघ**[2] में इस न्यायालय के एक पूर्व निर्णय, जिसे **एयर**

---

1. (2019) 17 एससीसी 129.

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड और अन्य[3] में संदर्भित किया गया था, में एक परिदृश्य शामिल है जहां राज्य सरकार ने सिफारिश की थी कि एक आईएएस अधिकारी के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाए और भारत सरकार ने राज्य के मुख्य सचिव से अनुरोध किया था कि वह उस तारीख को सूचित करे जिस दिन उन्हें अपने कर्तव्यों से मुक्त किया जाएगा ताकि एक औपचारिक अधिसूचना जारी की जा सके। हालांकि, तारीख को सूचित करने और एक औपचारिक अधिसूचना जारी करने से पहले, अधिकारी ने अपना इस्तीफा पत्र वापस ले लिया। बाद में जारी किए गए उनके इस्तीफे को स्वीकार करने के आदेश पर, उसको चुनौती दी गई थी और इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया था कि पक्षकारों के बीच पत्राचार में कोई संकेत नहीं था कि स्वीकृति को सूचित किए जाने तक इस्तीफा प्रभावी नहीं होना था कि स्वीकृति की सूचना दिए जाने तक इस्तीफा प्रभावी नहीं होगा। वास्तव में, अधिकारी ने जल्द स्वीकृति के लिए अपना इस्तीफा पत्र भेज दिया था और इस प्रकार पत्र के साधारण पठन पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने के साथ ही इस्तीफा प्रभावी हो गया।

20. एक विपरीत स्थिति में, **भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा**[4] में इस न्यायालय के निर्णय को संदर्भित किया गया था, जहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश द्वारा दिए गए इस्तीफा पत्र को वैध रूप से वापस ले लिया गया पाया गया था।इस्तीफा पत्र की शुरुआत इस बयान से हुई कि न्यायाधीश पद से इस्तीफा दे रहे हैं लेकिन यह एक स्वयं में ही पूर्ण बयान नहीं था। यदि ऐसा होता, तो इस्तीफा

---

2. (1968) 3 एससीआर 857.

3. (उपरोक्त)

4. (1978) 2 एससीसी 301

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

तत्काल होता, जिसमें पद का तत्काल त्याग और न्यायाधीश के रूप में उनके कार्यकाल की समाप्ति शामिल होती। वास्तव में एक न्यायाधीश के इस्तीफा पत्र को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं था। पहले वाक्य के बाद दो और वाक्य थे जिन्होंने इस्तीफे को प्रभावी होने के लिए बाद की तारीख की सूचना दी और चूंकि उस तारीख से पहले इस्तीफा पत्र वापस ले लिया गया था, इसलिए इसे वैध रूप से वापस ले लिया गया माना गया था।

21. हम ध्यान दें कि पूर्वोक्त का महत्व यह है कि अंततः, पत्र के शब्द तात्विक होंगे और वर्तमान मामले में चूंकि यह योजना के तहत है, इसलिए यह एमवीआरएस होगा।

22. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निम्न पहलुओं को संदर्भित किया– (क) प्रत्यर्थी की चेक की स्वीकृति (लेकिन वह न्यायालय के अंतरिम निर्देशों के तहत थी) (ख) पद की समाप्ति जैसा कि न्यू विक्टोरिया मिल्स को 09.03.2004 दिनांकित अधिसूचना द्वारा बंद कर दिया गया था (लेकिन उस स्थिति में यदि प्रत्यर्थी सफल होता है, तो वह अभी भी सभी परिणामों के साथ नियोजन में रहेगा) (ग) 2018 में प्रत्यर्थी की सेवानिवृत्ति (जिसका अर्थ केवल यह होगा कि उसके लाभ केवल उस समय तक होंगे)। एकमात्र महत्वपूर्ण अन्य पहलू यह है कि यदि प्रत्यर्थी ने एमवीआरएस के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प नहीं चुना होता, तो उसकी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत छंटनी की जा सकती थी। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान स्पष्ट किया कि ऐसे व्यक्तियों को भुगतान की गई धनराशि, एमवीआरएस के तहत इस्तीफे का विकल्प चुनने वाले

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

कर्मचारियों को भुगतान की गई धनराशि से कम थी।यदि कहा जाये, तो कर्मचारियों को एमवीआरएस को स्वीकार करने का यही प्रोत्साहन था।

23. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह बात रखने के लिए **जे.एन. श्रीवास्तव बनाम भारत संघ व एक अन्य**[5] और **शंभू मुरारी सिन्हा बनाम प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया और एक अन्य**[6] में इस न्यायालय के निर्णयों पर अवलम्ब लिया कि एक कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपना आवेदन इसकी स्वीकृति के बाद भी वापस लेने का अधिकार है, यदि ऐसी वापसी कर्मचारी की वास्तविक सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले की जाती है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अपीलकर्ता संख्या 1 और प्रत्यर्थी के बीच नियोक्ता और कर्मचारी का विधिक संबंध 16.07.2003 तक जारी रहा और इस प्रकार प्रत्यर्थी के पास 01.07.2003 को अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए लोकस पोनिटेंसिया(संविदा या दायित्व पूर्ण होने से पहले वापस लेने का अवसर) था।

24. पूर्वोक्त निर्णयों को बारीकी से पढ़ने पर, उसमें दी गई टिप्पणियों के संदर्भ में तथ्यात्मक आधार पर ध्यान देना उचित होगा। **जे.एन. श्रीवास्तव**[7] में, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस को तीन महीने बाद प्रभावी होना था।तीन महीने की समाप्ति से पहले प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था लेकिन कर्मचारी ने उस तारीख से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस वापस ले लिया, जिस दिन सेवानिवृत्ति को प्रभावी होना था। **शंभू मुरारी सिन्हा**[8] में, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत कर्मचारी

---

5. (1998) 9 एससीसी 559

6. (2000) 5 एससीसी 621

7. (उपरोक्त)

8. (उपरोक्त)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

द्वारा प्रस्तुत इस्तीफे को प्रबंधन द्वारा स्वीकार किया गया था, लेकिन कर्मचारी को सेवा से पदमुक्ति नहीं दी गई थी और कट ऑफ तिथि को स्थगित करके कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई थी। कर्मचारी ने इस बीच स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव वापस ले लिया। इस न्यायालय द्वारा इस अवधारणा के लिए कई न्यायिक निर्णयों को संदर्भित किया गया था कि इस्तीफे की स्वीकृति के बावजूद प्रभावी तिथि से पहले इस्तीफे को वापस लिया जा सकता है।

25. **पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम प्रमोद कुमार भाटिया**[9] में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत किए गए एक आवेदन को स्वीकार किए जाने के बाद निगम ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना वापस ले ली। इस न्यायालय ने माना कि स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने के उसके प्रस्ताव की स्वीकृति उसको देय राशि के समायोजन के अधीन थी और इसलिए उसे अंतिम रूप नहीं मिला। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि हालांकि यह कुछ ऐसा था जो प्रबंधन के लिए फायदेमंद था, उसी सिद्धांत पर, यह समान रूप से एक कर्मचारी के लाभ के लिए भी लागू होना चाहिए।

26. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि एमवीआरएस जैसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 'प्रस्ताव के आमंत्रण' की प्रकृति में थी और इस प्रकार, संविदा विधि के सिद्धांतों द्वारा शासित होगी। (**बैंक ऑफ इंडिया बनाम ओ.पी. स्वर्णकार**[10]**; एचईसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त सदस्य कल्याण समिति और एक**

---

9. (1997) 4 एससीसी 280

10. (2003) 2 एससीसी 721

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अन्य बनाम हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य[11])। इस प्रकार, 12.07.2002 को योजना के तहत प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन एक प्रस्ताव की प्रकृति में था। प्रत्यर्थी ने अपने इस्तीफे को 03.03.2003 दिनांकित पत्र द्वारा तब तक के लिए निलंबित कर दिया, जब तक कि अपीलकर्ता संख्या 1 ने प्रत्यर्थी का भविष्य निधि बकाया जमा नहीं किया और इस प्रकार, प्रत्यर्थी का प्रस्ताव निरस्त हो गया। उसी सिद्धांत पर यह आग्रह किया गया था कि एमवीआरएस के तहत प्रत्यर्थी का आवेदन, अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा प्रत्यर्थी की बकाया राशि, विशेष रूप से उसकी भविष्य निधि की बकाया राशि को निपटाने पर पूर्व –शर्त पर आधारित था। अपीलकर्ता संख्या 1 ने भविष्य निधि बकाया से संबंधित संलग्न शर्त का पालन नहीं किया। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **भारतीय खाद्य निगम और अन्य बनाम राम केश यादव और अन्य**[12] में दिए गए निर्णय पर भी अवलम्ब लिया है जिसमें यह मत व्यक्त किया गया था कि सशर्त प्रस्ताव के मामले में , प्रतिग्रहीता प्रस्ताव, जिसके परिणामस्वरूप प्रस्तावक द्वारा कार्य किया जाता है, के एक हिस्से को स्वीकार नहीं कर सकता है और फिर उस शर्त को अस्वीकार नहीं कर सकता जिसके अधीन प्रस्ताव किया जाता है।

27. एमवीआरएस के नियमों और शर्तों पर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने खंड 5.1 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें आवश्यक था कि प्रत्यर्थी के इस्तीफे की स्वीकृति पर, वह न केवल सेवानिवृत्त होगा, बल्कि साथ ही पद को भी समाप्त कर दिया जाएगा।यह केवल 16.07.2003 को होगा।यदि पद समाप्त हो जाता है तो प्रत्यर्थी को कैसे जारी रखने के लिए कहा जा सकता है?

---

11. (2006) 3 एससीसी 708

12. (2007) 9 एससीसी 531

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

28. अंतिम पहलू, जो हमारे ध्यान में लाया गया था, वह 07.12.2010 को प्राप्त एक आरटीआई जवाब था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि तीन कर्मचारियों ने अपने इस्तीफे वापस ले लिए थे। यह एकमात्र मामला नहीं था, क्योंकि पांच अन्य कर्मचारी/अधिकारी थे, जिन्हें अन्य राज्यों में मिलों में स्थानांतरित कर दिया गया था। ये तथ्य केवल यह दिखाने के लिए थे कि अपीलकर्ता संख्या 1 के बंद होने से प्रत्यर्थी को किसी अन्य मिल में नियोजन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है, हालांकि अब नियोजन का प्रश्न शेष नहीं है क्योंकि वह 2018 में सेवानिवृत्त हो गए होगें लेकिन फिर भी वित्तीय लाभ के हकदार होगें। इस स्तर पर हम यह भी नोट कर सकते हैं कि प्रत्यर्थी के आरटीआई प्रश्न के जवाब में स्पष्ट किया गया था कि अन्य राज्यों में मिलों के कर्मचारियों के समायोजन के लिए कोई योजना नहीं थी।

29. हमने पूर्वोक्त प्रतिपादित विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान विवाद के तथ्यात्मक संदर्भों का परीक्षण किया है। वास्तव में, यदि कोई दोनों पक्षों से उद्धृत विभिन्न निर्णयों को देखता है, तो वास्तव में तथ्यात्मक बारीकियां हैं जिससे एक परिणाम या दूसरा परिणाम निकला है। तथ्यात्मक बारीकियों की महत्वपूर्ण रूप से लागू होने वाली योजना के संदर्भ में जांच की जानी चाहिए, क्योंकि वर्तमान मामला इस्तीफे का नहीं है, बल्कि एमवीआरएस के तहत उपलब्ध एक विकल्प का उपयोग करने का है।

30. वर्तमान प्रत्यर्थी ने योजना के तहत आवेदन दाखिल किया। यदि हम 12.07.2002 दिनांकित पत्र को बारीकी से देखें, तो प्रत्यर्थी का आशय स्पष्ट था, अर्थात अपना इस्तीफा प्रस्तुत करना। यह भविष्य की तारीख से प्रभावी होना वाला इस्तीफा नहीं है, बल्कि ऐसा है जो योजना के अनुसार प्रभावी होगा। यह एक सशर्त इस्तीफा भी नहीं है जैसा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

केवल यह दावा करना कि आवेदक की सेवा अवधि से उत्पन्न होने वाले सभी लाभों का भुगतान उसे किया जाएगा, उनके इस्तीफे का एक स्वाभाविक परिणाम है। हम मानते हैं कि इस तरह के इस्तीफे को शायद ही सशर्त कहा जा सकता है।

31. पूर्वोक्त स्थिति के कारण, यदि हम योजना के तहत इस इस्तीफे को देखते हैं, तो निस्संदेह एमवीआरएस के खंड 1.6 के संदर्भ में, प्रबंधन के पास कोई कारण बताए बिना आवेदन को अस्वीकार करने का विकल्प है। हमारी राय में, पुनः यह इस्तीफे को सशर्त नहीं बनाएगा। संविदात्मक संदर्भ में , यह योजना के तहत नियोक्ता द्वारा किया गया प्रस्ताव होगा जिसे अपीलकर्ता–प्रबंधन द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। एक बार स्वीकृति हो जाती है, तो संविदा समाप्त हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह की स्वीकृति योजना के संदर्भ में होनी चाहिए। इस प्रकार, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या प्रत्यर्थी की पश्चातवर्ती संसूचना इस्तीफे को सशर्त इस्तीफे में बदल सकती हैं और क्या इसकी स्वीकृति होने से पहले वापस ले ली गयी थी।

32. एमवीआरएस, विशेष रूप से खंड 4.0, योजना के तहत देय निलंबन लाभों का प्रावधान करता है। खंड 4.1 में भविष्य निधि खाते में शेष धनराशि का भुगतान कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अनुसार किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, जिस व्यक्ति के इस्तीफे को स्वीकार किया गया है, उसे अधिकार है कि योजना के तहत निलंबन लाभों के रूप में भविष्य निधि राशि के लाभ को प्राप्त करे। यह तथ्य कि खाते में नाम के विवरण के कारण कुछ विसंगति थी जिसके लिए पूर्व में कुछ संप्रेषण किया गया था, इसका मतलब यह नहीं होगा कि भविष्य निधि राशि प्रदान करने में कोई देरी प्रत्यर्थी को अपना इस्तीफा वापस लेने का अधिकार देगी।यदि कोई अनुचित देरी होती है, तो धनराशि में ब्याज दिया जा सकता है। मामले के दिए

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

गए तथ्यों से, ऐसा प्रतीत होता है कि धनराशि उसी खाता संख्या में जमा की गयी थी जहां इसे जमा किया जाना चाहिए था, लेकिन लाभार्थी के नाम/विवरण में कुछ समस्या थी जिससे कुछ भ्रम/देरी हुई थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता–प्रबंधन को इस पर बेहतर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन तब अपीलकर्ता ने बताया था कि समस्या भविष्य निधि खाते के संबंधित प्राधिकरण द्वारा प्रबंधन के कारण उत्पन्न हुई थी, न कि अपीलकर्ता द्वारा।

33. एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, वह खंड 5.0 के अनुसार योजना की शर्तें हैं। खंड 5.1 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को स्वीकार किए जाने के साथ ही पद को एक साथ समाप्त करने की अपेक्षा थी।यह योजना के तहत कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ देने से पहले किया जाना था। एक विशिष्ट शर्त यह थी कि कोई भी व्यक्ति उसके स्थान पर नियोजित नहीं किया जाएगा। उद्देश्य स्पष्ट था, कि यह नहीं होना चाहिए कि एक तरफ, किसी कर्मचारी को एमवीआरएस का लाभ देकर जनशक्ति कम की जाती है और दूसरी ओर, किसी अन्य व्यक्ति को पद पर तैनात किया जाता है। यह एक अर्थ में, अपीलकर्ता संख्या 1 की असुरक्षित वित्तीय स्थिति के कारण, इस योजना को प्रतिपादित करने के उद्देश्य को ही समाप्त करने वाला होगा।

34. प्रत्यर्थी द्वारा संबोधित अगला संप्रेषण 03.03.2003 दिनांकित पत्र है।प्रत्यर्थी ने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया, जो वह उस चरण में कर सकता था। उसने भविष्य निधि खाते में सुधार न करने और उसके पूर्ववर्ती संप्रेषण के संबंध में कोई कार्यवाही न करने का उल्लेख किया, जो लगभग तीन साल पुराने थे। प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ता संख्या 1 के अन्तर्गत संबंधित विभागों को लापरवाही और त्रुटि का दोषी ठहराया है, जिसे विनिर्दिष्ट रूप से अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा अस्वीकार कर दिया

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

गया है। प्रत्यर्थी ने कहा कि वेतन से नियमित कटौती के बावजूद भविष्य निधि खाते में राशि जमा नहीं करना किसी गंभीर षड्यंत्र के कारण है।वास्तव में , धनराशि संबंधित खाते में जमा की गई थी, लेकिन जैसा कि पूर्वोक्त देखा गया था, खाते के लाभार्थी के बारे में कुछ भ्रम था, जो स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी को होना था।प्रत्यर्थी के पत्र में कहा गया है कि उसके भविष्य निधि खाते में राशि जमा होने तक उसका इस्तीफा "निलंबित" रखा जाए। इसके पीछे का तर्क अगले वाक्य में बताया गया है, अर्थात् यदि इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है तो धनराशि की प्राप्ति न केवल मुश्किल हो जाएगी, बल्कि यह असंभव हो जायेगी।

35. पूर्वोक्त आरोप स्पष्ट रूप से हताशा के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, जिसे प्रत्यर्थी ने भविष्य निधि खाते में सुधार न करने के कारण महसूस किया हो सकता है क्योंकि इस्तीफे की स्वीकृति और धनराशि का संवितरण एक दूसरे से जुड़े पहलू नहीं हैं, सिवाय इस हद तक कि भविष्य निधि खाते के तहत धनराशि का भुगतान योजना के तहत प्रत्यर्थी को किया जाना था। इसमें, कोई बाधा नहीं थी, सिवाय तथ्यात्मक सुधार के जो अपीलकर्ताओं द्वारा बताए गए खाते के विवरण में आवश्यक था, जो कि उनकी ओर से किसी भी गलती के कारण भी नहीं था।

36. पूर्वोक्त स्थिति में ही, दिनांक 28.05.2003 को अपीलकर्ता संख्या 1 द्वारा प्रत्यर्थी सहित चार व्यक्तियों के इस्तीफे को स्वीकार करते हुए एक पत्र जारी किया गया था। एक बार इस्तीफा पत्र स्वीकार कर लेने के बाद, प्रकरण समाप्त हो गया था।प्रत्यर्थी को उक्त पत्र के संदर्भ में 01.06.2003 से सेवाओं से सेवानिवृत्त होना था।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

37. हालांकि प्रत्यर्थी अपीलकर्ता संख्या 1 के दिनांक 02.06.2003 के पत्र का लाभ उठाना चाहता है, जिसने 01.06.2003 को पहले से तय की गई कट ऑफ तारीख को बढ़ा दिया। इस प्रकार, प्रत्यर्थी की दलील यह है कि एक बार जिस तारीख से उसे पदमुक्त की जानी थी, उसे बढ़ा दिया गया तो यह उसके इस्तीफे को स्वीकार नहीं करने के बराबर होगा। यह दलील इस तथ्य से समर्थित है कि चूंकि इस्तीफे की स्वीकृति और पद की समाप्ती एक साथ होनी थी, इसलिए प्रत्यर्थी को कार्य जारी रखने के लिए कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा कोई पद नहीं होगा जिसके सापेक्ष प्रत्यर्थी काम कर सके। पूर्वोक्त का लाभ उठाते हुए , प्रत्यर्थी ने 01.07.2003 को एक पत्र को संबोधित करते हुए दावा किया कि उस तारीख तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया था और एमवीआरएस के तहत 12.07.2002 दिनांकित उनके इस्तीफे के पत्र को रद्द माना जा सकता है।

38. अपीलकर्ता संख्या 1 ने इस पर कार्यवाही करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके विचार में इस्तीफा पत्र दिनांक 28.05.2003 को पहले से ही स्वीकार कर लिया गया था।प्रत्यर्थी 16.07.2003 से पदमुक्त हो गया।

39. हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस्तीफे की स्वीकृति और पद की समाप्ती एक साथ होनी थी क्योंकि यह योजना के खंड 5.1 का भाग है, जिसका उद्देश्य हम पहले ही ऊपर निर्धारित कर चुके हैं। खण्ड 5.1 अपीलकर्ता संख्या 1 को उस पद पर किसी और को नियुक्त करने से भी रोकता है। इस प्रकार, हमारे विचार में एक बार 28.05.2003 को इस्तीफा पत्र स्वीकार कर लिया गया, तो पद समाप्त हो गया। हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि 03.03.2003 दिनांकित पत्र को इस्तीफे की वापसी के पत्र के रूप में नहीं माना जा सकता है। कट ऑफ तिथी का आगे बढ़ना और उन कुछ दिनों के लिए परिणामस्वरूप भुगतान जो प्रत्यर्थी को किया

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जाना होगा, वास्तव में अपीलकर्ता संख्या 1 के लिए वित्तीय क्रियाकलाप का विषय है, जिससे प्रत्यर्थी का कोई वास्ता नहीं हो सकता है यदि उसका इस्तीफा स्वीकार किया जाता है।इस अवधारण का परीक्षण करने के लिए, कह सकते हैं कि अपीलकर्ता ने 28.05.2003 के बाद इस्तीफे की स्वीकृति को रद्द कर दिया था, ऐसा करना उनके लिए स्वीकार्य नहीं होगा क्योंकि उन्होंने पहले ही इस तारीख को प्रत्यर्थी के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया था। संविदात्मक शब्दों में, एमवीआरएस के तहत उपलब्ध इस्तीफे पर प्रत्यर्थी के प्रस्ताव पर अपीलकर्ता संख्या 1 की स्वीकृति 28.05.2003 को पूरी हो गयी थी। प्रत्यर्थी को कुछ दिनों के लिए कट ऑफ तिथी के आगे बढ़ने का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिस दौरान प्रत्यर्थी को कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था, भले ही कोई स्वीकृत पद न हो।

40. हमें उस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना होगा जिसमें योजना को प्रतिपादित किया गया था।अन्य मिलों के बीच अपीलकर्ता संख्या 1 को ऐसी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि उनकी वित्तीय व्यवहार्यता ने उन्हें कारोबार को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी। उस समय वित्तीय व्यवहार्यता के मुद्दे पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी बीआईएफआर था, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि उत्तर प्रदेश राज्य में ग्यारह में से नौ कपड़ा मिलें व्यवहार्य नहीं थीं और उनका पुनर्वास नहीं किया जा सकता था और इस प्रकार, उनको बंद करने की सिफारिश की गई थी। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (ण) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 09.03.2004 को अपीलकर्ता संख्या 1 सहित नौ कपड़ा मिलों को बंद करने की अनुमति दी। कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए, बीआईएफआर ने बंद करने की सिफारिश करते हुए शर्त लगाई, कि उक्त मिलों में

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

काम करने वाले सभी कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ दिया जाएगा और केवल तभी मिलें बंद हो पाएंगी। अपीलकर्ता राज्य और सार्वजनिक संस्थाएं हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि बीआईएफआर ने उसमें काम करने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए अधिक ध्यान दिया। इस संदर्भ में अपीलार्थियों ने हमारे समक्ष एमवीआरएस स्वीकार नहीं करने वाले व्यक्तियों को होने वाले आर्थिक परिणामों को रखा जो वास्तव में विवाद से परे है। ऐसे व्यक्तियों की औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार छंटनी की जाएगी और उन्हें मिलने वाला वित्तीय लाभ एमवीआरएस के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ से बहुत कम होगा। इस प्रकार, एमवीआरएस निर्विवाद रूप से इसका लाभ लेने वाले कर्मचारियों के लिए फायदेमंद था।यह स्वाभाविक होगा, क्योंकि तभी किसी कर्मचारी को योजना का लाभ उठाने के लिए कोई प्रोत्साहन मिलेगा।

41. हम इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं कर सकते कि वास्तव में अपीलकर्ता संख्या 1 को बंद कर दिया था और इस पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा ध्यान दिया गया था। यह तथ्य मात्र कि कुछ कर्मचारी मिल के बंद होने के बाद भी काम करते रहे या यह तथ्य कि कुछ लोगों को अन्य मिलों में नियोजित किया गया हो, प्रत्यर्थी की पुनर्बहाली के मामले में मदद नहीं कर सकता है। महत्वपूर्ण रूप से, बाद वाले पहलू पर भी अपीलकर्ता संख्या 1 ने प्रतिवाद किया है।

42. खंड 5.1 सहित एमवीआरएस का विश्लेषण प्रत्यर्थी के इस तर्क को मानता है कि अग्रिम में भुगतान करना अपेक्षित था। योजना के शब्द स्पष्ट हैं कि इस्तीफे की स्वीकृति के साथ पद की समाप्ति होनी चाहिए और उसके बाद, भुगतान को वितरित किया जाना चाहिए।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

43. हमने अपीलकर्ताओं के इस तर्क को समझने का प्रयास किया है कि दिनांक 28.05.2003 और 02.06.2003 के पत्र को चुनौती नहीं दी गयी है, केवल 16.07.2003 की संशोधित कट ऑफ तारीख को चुनौती दी गई है।ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरीके से प्रत्यर्थी ने अपनी शिकायत को व्यक्त करने का प्रयास किया, उसमें त्रुटि है, लेकिन व्यापक विचार को देखते हुए हमें इस पहलू पर गौर करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या यह उसके दावे के लिए घातक है। हमने एमवीआरएस का जो अर्थान्वयन किया है, वह इसके खंडों और योजना के तहत पक्षकारों की कार्रवाई के अनुसार है, जिसके परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्यर्थी द्वारा 01.06.2003 को इस्तीफा वापस लेने का प्रयास करने से पहले ही यह 28.05.2003 को स्वीकार कर लिया गया था। इस प्रकार, अपीलकर्ताओं द्वारा ठीक ही तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी को कर्तव्यों से पदमुक्त करने में देरी से उसके इस्तीफे की स्वीकृति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसा कि **एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड व अन्य**[13] में देखा गया है। एक अलग ही स्थिति उत्पन्न होती, यदि इस्तीफा पत्र वर्तमान नहीं था और इसके प्रभावी होने के लिए भविष्य की तारीख तय थी और उस तारीख से पहले इस्तीफा पत्र वापस ले लिया जाए।

44. हमने इस दलील पर प्रत्यर्थी द्वारा उद्धृत पूर्वोक्त न्यायिक निर्णयों का उल्लेख किया है कि प्रत्यर्थी के पास इस्तीफे के पत्र को वापस लेने के लिए लोकस पोनिटेंशिया (संविदा पूर्ण होने से पहले वापस लेने का अवसर) है क्योंकि पक्षकारों

---

13. (उपरोक्त)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

के बीच विधिक संबंध उनके इस्तीफे की वास्तविक तारीख तक जारी रहे।(**जे.एन. श्रीवास्तव**[14] और **शंभू मुरारी सिन्हा**[15])।

45. जैसा कि **जे.एन. श्रीवास्तव**[16] के मामले में प्रस्तर 3 में पूर्वोक्त देखा गया है, इस्तीफा एक निर्दिष्ट तिथि से भविष्यलक्षी प्रभाव से प्रभावी होना था और स्वीकार किए जाने के बावजूद उस तारीख से पहले वापस ले लिया गया था– जो एक अलग तथ्यात्मक परिदृश्य है।हम प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित विधिक सिद्धांत से भी असहमत नहीं हैं कि एमवीआरएस जैसी योजना "प्रस्ताव देने का निमंत्रण" थी। योजना के तहत 12.07.2002 को प्रत्यर्थी द्वारा दिया गया आवेदन एक प्रस्ताव की प्रकृति में था, लेकिन हम इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि 03.03.2003 दिनांकित पत्र द्वारा भविष्य निधि बकाया जमा की शर्त पर , उनके इस्तीफे का निलंबन हो सकता है जो वास्तव में पहले से ही जमा कर दिया गया था (यद्यपि जिस खाते में जमा होना था उसके नाम में कुछ भ्रम था)। भविष्य निधि बकाया सहित बकाया राशि प्रदान करने की स्वीकृति भी सशर्त नहीं थी , क्योंकि यह एक परिणाम था जो इस्तीफे की स्वीकृति पर होगा। इस प्रकार, 28.05.2003 को प्रस्ताव और स्वीकृति के अनुसरण में, संव्यवहार पूरा हो गया था। **शंभू मुरारी सिन्हा**[17] के मामले के विपरीत, यह एक सशर्त प्रस्ताव का मामला नहीं है, जिसमें भागतः प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया हो, बल्कि उन परिणामों के साथ योजना

---

14. (उपरोक्त)

15. (उपरोक्त)

16. (उपरोक्त)

17. (उपरोक्त)

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

की शर्तों पर प्रस्ताव की स्वीकृति है, जो इस्तीफे की स्वीकृति पर प्रत्यर्थी को होने वाले वित्तीय लाभ योजना के तहत परिकल्पित हैं।

46. पूर्वोक्त का परिणाम यह है कि हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्राप्त निष्कर्षों से सहमत होने के लिए खुद को मनाने में असमर्थ हैं जैसा कि विद्वान खण्ड़पीठ द्वारा पुष्ट किया गया है। हमारा विचार है कि प्रत्यर्थी का इस्तीफा पत्र 28.05.2003 को स्वीकृत हो गया था और प्रत्यर्थी योजना के तहत लाभ का हकदार है जो प्रत्यर्थी को कार्यवाही में प्रत्यर्थी के अधिकारों और तर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , पहले ही भुगतान कर दिया गया है।

47. आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। तदनुसार अपील को अनुमति प्रदान की जाती है, पक्षकार अपना खर्चा स्वयं वहन करेगें।

.....

[न्यायमूर्ति संजय किशन कौल]

.....

[न्यायमूर्ति एम.एम. सुंद्रेश]

नई दिल्ली।

27 सितंबर 2021

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।